न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 97 / 2015

1 पप्पू पुत्र जगदीश।
2 कमला पुत्री जगदीश।
3 सरिता पुत्री जगदीश।
4 सुमन पुत्री जगदीश समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बजाड़ान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर समस्त नाबालिग जरिये संरक्षिका माता ग्यारसी देवी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी ढ़ाणी बजाडान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती भंवरी देवी पत्नी रामेश्वरलाल।
2 जगदीश पुत्र रूपाराम।
3 मोहन पुत्र रूपाराम।
4 रामू पुत्र रूपाराम।
5 रामचन्द्र पुत्र सोहनलाल।
6 महेन्द्र पुत्र सोहनलाल।
7 ताराचन्द पुत्र सोहनलाल।
8 राजेन्द्र पुत्र सोहनलाल।
9 लाड़ा देवी पत्नी सोहनलाल।
10 परसाराम पुत्र कुशला।
11 नन्दलाल पुत्र कुशला।
12 सुखी देवी पत्नी परसाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 किशनी देवी पत्नी भंवरलाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बजाडान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 शाखा प्रबन्ध स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रूल्याणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
15 शाखा प्रबन्धक सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा नेछवा।
16 पटवारी हल्का भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
17 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भू–धारक।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्व
निर्णय व डिक्री मुकदमा नम्बर 105/2013 दिनांकित
29.06.2015 बउनवानी पप्पू बनाम श्रीमती भंवरी देवी
पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक।

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 105/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पैतृक खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 2.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 2.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28/126 रकबा 3.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92 रकबा 5.85 हैक्टेयर राजस्व ग्राम बजाड़ा की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है जिसका पूर्व रिकार्डेड खातेदार खुद काबिज काश्तकार अपीलांट वादी का दादा रूपाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट रहे थे, जिनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 26 का नोट जमाबंदी संवत 2028 से 2031 पर अंकित किया जाकर खाता अपीलांट के पिता जगदीश के दर्ज कर दिया गया जगदीश द्वारा अपीलांट की पैतृक कृषि भूमियो को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्टा करने पर अपने खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा निमित वादी द्वारा दावा संख्या 101/2007 पेश किया जाकर कालान्तर में सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय को अन्तरित किया जाकर नये बी.टी. नम्बर 105/2013 कायम किये गये। अपीलांट ने अपनी पैतृक कृषि भूमियों मे जगदीश 1/9 हिस्से मे से खातेदारी जगदीश के जीवन काल में वादीगण द्वारा क्लेम की गई। उक्त वाद संख्या 105/2013 को विचारण न्यायालय द्वारा विधि व नियमो के विपरित जाकर दिनांक 29.06.2015 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी ने विवादित भूमियो को पैतृक कृषि भूमियां बताकर रेस्पोडेंट संख्या 2 की खातेदारी की विवादित भूमियां के 1/9 हिस्से के खातेदार घोषणा का दावा प्रस्तुत किया जिसका खण्डन करते हुये रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट वादीगण के हिस्से की भूमियां विक्रय हो जाने का कथन करते हुये दावा खारिज करने की प्रार्थना की पक्षकारो के बीच तथ्य सम्बंधित विवाद होने का कानून तनकीयात कायम कर दोनो पक्षो की दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य ली जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा तनकी कायम न कर कैम्प कोर्ट सुटोट में वादीगण की अनुपस्थित रहने पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादी का वाद साबित नही होने के आधार पर खारिज किया है। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा प्रयोजित न्याय आपके द्वार अभियान 2015 मे प्रकरणो का राजीनामे के आधार पर निर्णय करने हेतु निर्देश दिये हुये है। अनुपस्थित वादीगण के वाद खारिज करने का कोई विचारण न्यायालय को नही होते हुए भी वादीगण का वाद खारिज करना कतई कानून सम्मत नही है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादीगण को सूचित किया जाकर पत्रावली लोक अदालत कैम्प में रखी गई थी। वादीगण उपस्थित नही थे। विचारण न्यायालय में गुणावगुण पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने विवादित भूमियो को पैतृक कृषि भूमियां बताकर रेस्पोडेंट संख्या 2 की खातेदारी की विवादित भूमियां के 1/9 हिस्से के खातेदार घोषणा का दावा प्रस्तुत किया जिसका खण्डन करते हुये रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट वादीगण के हिस्से की भूमियां विक्रय हो जाने का कथन करते हुये दावा खारिज करने की प्रार्थना की पक्षकारो के बीच तथ्य सम्बंधित विवाद होने का कानून तनकीयात कायम कर दोनो पक्षो की दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य ली जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा तनकी कायम न कर कैम्प कोर्ट सुटोट में वादीगण की अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद साबित नही होने के आधार पर खारिज किया है। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा प्रयोजित न्याय आपके द्वार अभियान 2015 मे प्रकरणो का राजीनामे के आधार पर निर्णय करने हेतु निर्देश दिये हुये है। अनुपस्थित वादीगण के वाद खारिज करने का कोई विचारण न्यायालय को नही होते हुए भी वादीगण का वाद खारिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करना कतई कानून सम्मत नही है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया अनुसार गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर